

भारत में न्यायालयों की भाषा

प्रलिस के लयः

सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, न्यायालय में भाषा, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 348

मेन्स के लयः

न्यायालयों में प्रयुक्त भाषा और उसका महत्त्व, उच्च न्यायापालिका में कषेत्रीय भाषाओं के प्रयोग का वशिलेषण ।

चर्चा में क्यो?

हाल ही में गुजरात उच्च न्यायालय में न्यायालय की अवमानना (Contempt of Court) का सामना कर रहे एक पत्रकार को न्यायालय द्वारा यह कहते हुए केवल अंगरेज़ी में बोलने के लयि कहा गया कयिह उच्च न्यायापालिका की भाषा है ।

प्रमुख बदि

पृष्ठभूमि:

- भारत में न्यायालयों में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा ने मुगल काल के दौरान उरदू से फारसी और फारसी लपियों में बदलाव के साथ सदयों से एक संक्रमण देखा है जो ब्रिटिश शासन के दौरान भी अधीनस्थ न्यायालयों में जारी रहा ।
- अंगरेज़ों ने भारत में राजभाषा के रूप में अंगरेज़ी के साथ कानून की एक संहिताबद्ध प्रणाली की शुरुआत की ।
- स्वतंत्रता के बाद भारत के संवधान के [अनुच्छेद 343](#) में प्रावधान है कसिंघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लपिमें हदिी होगी ।
- हालाँकि यह अनवार्य है कभारत के संवधान के प्रारंभ से 15 वर्षों तक संघ के सभी आधिकारिक उद्देश्यों हेतु अंगरेज़ी भाषा का उपयोग जारी रहेगा ।
 - यह आगे प्रावधान करता है क[राष्ट्रपति](#) उक्त अवधि के दौरान अंगरेज़ी भाषा के अलावा संघ के कसिी भी आधिकारिक उद्देश्य के लयि हदिी भाषा के उपयोग को अधिकृत कर सकता है ।

संबंधति प्रावधान:

- [अनुच्छेद 348 \(1\) \(A\)](#), जब तक संसद कानून द्वारा अन्यथा प्रदान नहीं करती है, [सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय के समक्ष सभी कार्यवाही अंगरेज़ी में आयोजति की जाएगी](#) ।
- अनुच्छेद 348 (2) यह भी प्रावधान करता है कअनुच्छेद 348 (1) के प्रावधानों के बावजूद कसिी राज्य का [राज्यपाल](#), राष्ट्रपति की पूर्व सहमतिसे उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हदिी या कसिी भी आधिकारिक उद्देश्य के लयि इस्तेमाल की जाने वाली कसिी अन्य भाषा के उपयोग को अधिकृत कर सकता है ।
 - उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश राज्यों ने पहले ही अपने-अपने उच्च न्यायालयों के समक्ष कार्यवाही में हदिी के उपयोग को अधिकृत कर दया है और तमलिनाडु भी अपने उच्च न्यायालय के समक्ष तमलि भाषा के उपयोग को अधिकृत करने के लयि उसी दशिा में काम कर रहा है
- एक अन्य प्रावधान में यह कहा गया है कइस खंड का कोई भी भाग उच्च न्यायालय द्वारा कयि गए कसिी भी नरिणय, डकिरी या आदेश पर लागू नहीं होगा ।
- इसलयि [संवधान](#) इस चेतावनी के साथ अंगरेज़ी को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की प्राथमिक भाषा के रूप में मान्यता देता है कभले ही उच्च न्यायालयों की कार्यवाही में कसिी अन्य भाषा का उपयोग कया जाए लेकिन उच्च न्यायालयों के नरिणय अंगरेज़ी में दयि जाने चाहये ।

राजभाषा अधनियम 1963:

- राजभाषा अधनियम- 1963 राज्यपाल को यह अधिकार देता है कविह राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से उच्च न्यायालय द्वारा दयि गए नरिणयों, पारति आदेशों में हदिी अथवा राज्य की कसिी अन्य भाषा के प्रयोग की अनुमति दे सकता है, परंतु इसके साथ ही इसका अंगरेज़ी अनुवाद भी संलग्न करना होगा ।
- यह प्रावधान करता है कजहाँ कोई नरिणय/आदेश ऐसी कसिी भी भाषा में पारति कया जाता है, तो उसके साथ उसका अंगरेज़ी में अनुवाद होना चाहयि ।
 - यदइसे [संवधानिक प्रावधानों](#) के साथ पढ़ें तो यह स्पष्ट है कइस अधनियम द्वारा भी अंगरेज़ी को प्रधानता दी गई है ।

- राजभाषा अधिनियम में **सर्वोच्च न्यायालय का कोई उल्लेख** नहीं है, जहाँ **अंग्रेज़ी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें कार्यवाही** की जाती है।

नोट:

- वादी को अदालत की कार्यवाही को समझने और उसमें भाग लेने का **मौलिक अधिकार** है क्योंकि यह यकीनन **अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21** के तहत अधिकारों का एक बंडल प्रदान करता है।
- वादी को मजिस्ट्रेट के सामने **उस भाषा में बोलने का अधिकार है जिसे वह समझता/समझती है**। इसी तरह **संवधान के अनुच्छेद 21** के तहत **"न्याय के अधिकार"** को भी मान्यता दी गई है।
- इसलिये संवधान ने वादी को न्याय का अधिकार प्रदान किया है जिसमें आगे यह भी शामिल है कि उसे पूरी कार्यवाही तथा दिये गए नरिणय को समझने का अधिकार होगा।
- **अधीनस्थ न्यायालयों की भाषा:**
 - उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ सभी न्यायालयों की भाषा आमतौर पर वही रहती है जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये जाने तब **सर्वविलि प्रक्रिया संहिता 1908** के प्रारंभ पर भाषा के रूप में होती है।
 - अधीनस्थ न्यायालयों में भाषा के प्रयोग के संबंध में प्रावधान में यह शामिल है कि **नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 137** के तहत ज़िला न्यायालयों की भाषा अधिनियम की भाषा के समान होगी।
 - **राज्य सरकार के पास न्यायालय की कार्यवाही के विकल्प के रूप में किसी भी क्षेत्रीय भाषा को घोषित करने की शक्ति है।**
 - हालाँकि **मजिस्ट्रेट द्वारा अंग्रेज़ी में नरिणय, आदेश और डिकिरी पारित की जा सकती है।**
 - **साक्ष्यों को दर्ज करने का कार्य राज्य की प्रचलित भाषा में** किया जाएगा।
 - अभिविक्ता के अंग्रेज़ी से अनभिज्ञ होने की स्थिति में उसके अनुरोध पर अदालत की भाषा में अनुवाद उपलब्ध कराया जाएगा और इस तरह की लागत अदालत द्वारा वहन की जाएगी।
 - **दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 272** में कहा गया है कि राज्य सरकार उच्च न्यायालयों के अलावा अन्य सभी न्यायालयों की भाषा का निर्धारण करेगी। मोटे तौर पर इसका तात्पर्य यह है कि ज़िला अदालतों में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा राज्य सरकार के निर्देशानुसार क्षेत्रीय भाषा होगी।
- **अंग्रेज़ी प्रयोग करने का कारण:**
 - जिस तरह पूरे देश से मामले **सर्वोच्च न्यायालय** में आते हैं, उसी तरह सर्वोच्च न्यायालय के जज और वकील भी भारत के सभी हिस्सों से आते हैं।
 - न्यायाधीशों से शायद ही उन भाषाओं में दस्तावेज़ पढ़ने और तर्क सुनने की उम्मीद की जा सकती है जिनसे वे परिचित नहीं हैं।
 - अंग्रेज़ी के प्रयोग के बिना अपने कर्तव्य का निर्वहन करना असंभव होगा। सर्वोच्च न्यायालय के सभी नरिणय भी अंग्रेज़ी में दिये जाते हैं।
 - हालाँकि **वर्ष 2019** में न्यायालय ने अपने नरिणयों को क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिये एक पहल की शुरुआत की, बल्कि यह एक लंबा आदेश है, जो न्यायालय द्वारा दिये गए नरिणयों की भारी मात्रा को देखते हुए दिया गया है।
- **अंग्रेज़ी का उपयोग करने का महत्त्व:**
 - **एकरूपता:** वर्तमान में भारत में न्यायिक प्रणाली पूरे देश में अच्छी तरह से विकसित, एकीकृत और एक समान है।
 - **आसान पहुँच:** वकीलों के साथ-साथ न्यायाधीशों को समान कानूनों और कानून व संवधान के अन्य मामलों पर अन्य उच्च न्यायालयों के विचारों तक आसान पहुँच का लाभ मिलता है।
 - **नरिबाध स्थानांतरण:** वर्तमान में एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अन्य उच्च न्यायालयों में नरिबाध रूप से स्थानांतरित किया जाता है।
 - **एकीकृत संरचना:** इसने भारतीय न्यायिक प्रणाली को एक एकीकृत संरचना प्रदान की है। किसी भी मजबूत कानूनी प्रणाली की पहचान यह है कि कानून निश्चित, सटीक और अनुमानित होना चाहिये तथा हमने भारत में इसे लगभग हासिल कर लिया है।
 - **संपर्क भाषा:** बहुत हद तक हम अंग्रेज़ी भाषा के लिये ऋणी हैं, जसिने भारत के लिये एक संपर्क भाषा के रूप में कार्य किया है जहाँ हमारे पास लगभग दो दर्जन आधिकारिक राज्य भाषाएँ हैं।

आगे की राह

- भारत में भाषा हमेशा एक भावनात्मक मुद्दा रहा है और 25 विभिन्न **उच्च न्यायालयों** में राज्यों की संबंधित आधिकारिक भाषाओं की शुरुआत का मुद्दा बढ़ा है, जसिका भारतीय न्यायिक प्रणाली पर बहुत गंभीर असर होगा।
- देश के भीतर अब तक एकीकृत और अच्छी तरह से संरचित कानूनी प्रणाली राज्यों द्वारा भाषायी एकता के विघटन से विघटित हो सकती है।
- कार्यवाही के लिये **आधिकारिक राज्य भाषाओं** की शुरुआत भी सीधे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्थानांतरण नीतिका सामना करती है और हस्तक्षेप करती है।
- इस प्रकार विभिन्न राज्यों द्वारा अपने-अपने उच्च न्यायालयों में किसी भी स्तर पर अन्य राज्यों के साथ चर्चा किये बिना या अंग्रेज़ी के स्थान पर वैकल्पिक संपर्क भाषा के लिये सर्वसम्मति की एक समानता प्राप्त करने हेतु कोई प्रयास किये बिना अपनी आधिकारिक भाषा को पेश करने का विकल्प प्रदान करेगा।
- विभिन्न राज्यों की न्यायपालिकाओं के बीच संचार के माध्यम समाप्त हो जाएंगे। उस स्थिति में देश की न्यायिक व्यवस्था का **एकीकृत ढाँचा** ही एकमात्र वस्तु नहीं होगी, जो कष्टकर क्षेत्रीय राजनीति और भाषायी रूढ़िवाद की वेदी पर चढ़ सकती है।

स्रोत: द हट्टू

